वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

चर्चा में क्यों?

➤ हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) से कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए कहा।

प्रमुख बिंदु

➤ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) की घोषणा वित्त मंत्री के बजट भाषण- 2022 में की गई है।

➤ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

➤ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों के लिए डायरेक्ट-टू-होम पहुंच और आजीविका सृजन के लिए समर्थन आदि गतिविधियाँ शामिल हैं।

➤ इस कार्यक्रम में उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांवों, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कवरेज की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास लाभ से छूट जाते हैं।

➤ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत मौजूदा योजनाओं का अभिसरण प्रस्तावित है। उत्तरी सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दायरे में आने वाले गांवों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

स्रोत- द हिन्दू

खराब ऋण

चर्चा में क्यों?

➤ हाल ही में, संसद को वित्त मंत्री द्वारा सूचित किया गया है कि बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 10,09,511 करोड़ रुपये के खराब ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है।

प्रमुख बिंदु

- कुल 10.1 लाख करोड़ रू. में से केवल र 1.32 लाख करोड़ रू. की वसूली की गई है।
- राइट-ऑफ के प्रतिशत के रूप में यह केवल लगभग 13% है।

पृष्ठभूमि

- **2009:** आरबीआई द्वारा NPA की श्रेणियां निर्धारित करने वाले मानदंड लाए गए कि इन खराब ऋणों की अवधि के रूप में बैंकों को क्या करना चाहिए।
- 2009 में आरबीआई के मास्टर सर्कुलर ने एनपीए मान्यता पर कार्य प्रारंभ किया।
- इसमें कहा गया है कि यदि कोई संपत्ति एक निश्चित अवधि के लिए 'संदिग्ध' रही है, तो उस संपत्ति का मूल्य संपत्ति की अवधि के भागों के रूप में में प्रदान किया जाना चाहिए।
- **2014-15:** भारत 2014- 2015 की अवधि में ऋणों को 'खराब' श्रेणी के रूप में पहचानने में अधिक सख्त हो गया तथा आवधिक संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा शुरू की गई।
- आरबीआई ने ऋणों की हर समय उपलब्धता को रोकने के लिए कदम उठाया। इसका मतलब है कि पहले से ही तनावग्रस्त संपत्ति को इस उम्मीद में और उधार देना कि इसे अपने पैरों पर वापस लाया जा सके, पर रोक लगायी गयी।
- **2021:** 2021 में एक संशोधन हुआ जिसने इस मानक को और अधिक कठोर बना दिया।
- भले ही संपत्ति मानक हो और इसमें कोई समस्या न हो, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उस क्षेत्र के लिए जोखिम तत्व के आधार पर ऋण प्रावधान करें।
- टीज़र दरों वाले गृह ऋणों की तरह उन लोगों की तुलना में अधिक जोखिम होता है जो नहीं हैं। इसलिए ऐसे ऋणों के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।
- 2021-2022 के केंद्रीय बजट में एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) की घोषणा की गई थी, ताकि चरणबद्ध तरीके से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के तनावग्रस्त ऋण का समाधान किया जा सके।

बैड लोन

- बैड लोन वह होता है जिसे एक निश्चित अवधि के लिए 'सर्विस' नहीं किया गया है।
- बैंक और उधारकर्ता के बीच समझौते के आधार पर ऋण चुकाना ब्याज और मूलधन के एक छोटे से हिस्से का भुगतान करना है।
- बैड लोन वे होते हैं जहां इस बात की कम निश्चितता होती है कि लोन का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा।

NPA क्या है?

- एक गैर निष्पादित संपत्ति (NPA) एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।

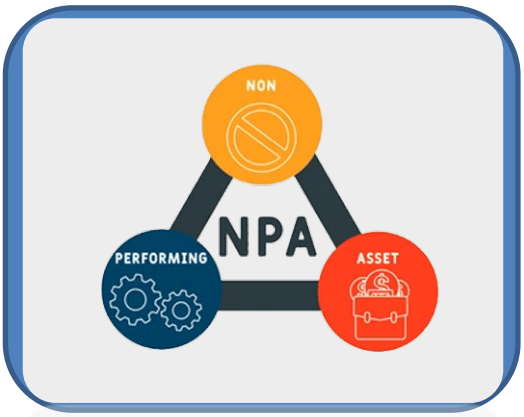

210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Us 9999516388, 8595638669

NPA के प्रकार:

- **उप-मानक**: एक उप-मानक संपत्ति वह है जिसे बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **संदिग्ध**: एक संदिग्ध संपत्ति वह है जो बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए NPA के रूप में बनी हुई है।
- **नुकसान**: एक नुकसान वाली संपत्ति वह है जहाँ बैंक या किसी बाहरी संस्था द्वारा नुकसान की पहचान पहले ही कर ली गई है, लेकिन इसकी वसूली मूल्य के कारण इसे अभी तक पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

भारत और ऑस्ट्रिया का समझौता

चर्चा में क्यों?

- भारत और ऑस्ट्रिया एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- भारत, ऑस्ट्रिया के साथ एक "व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते" (MMPA) पर हस्ताक्षर करेगा।
- भारत ने फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फिनलैंड के साथ समान गतिशीलता समझौते किए हैं।

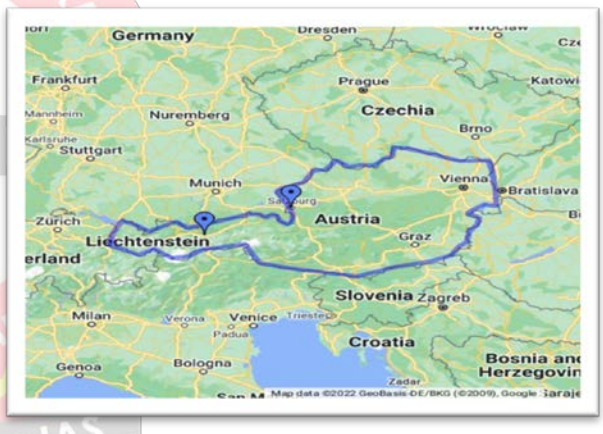

प्रासंगिकता:

- भारत लंबे समय से लंबित भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौते पर मुद्दों को हल करने और इन देशों में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक कदम के रूप में यूरोपीय देशों के साथ इन समझौतों को अंतिम रूप देने का इच्छुक है, यूरोपीय देश भी इन्हें भारत से अवैध आप्रवासन को रोकने के तरीके के रूप में देखते हैं ।
- यह एक बहुत जरूरी समझौता है, विशेष रूप से अवैध प्रवासन में तीव्र वृद्धि को देखते हुए ऑस्ट्रिया को पिछले साल सामना करना पड़ा था, जिसमें भारत से 15,000 से अधिक अवैध प्रवासी शामिल थे, जिनके पास व्यावहारिक रूप से शरण का कोई मौका नहीं था।
- यह समझौता अब एक साथ अवैध प्रवासन का मुकाबला करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है, क्योंकि यह अवैध प्रवासियों की तेजी से वापसी को सक्षम बनाता है।

भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध

- भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 1949 में हुई थी। परंपरागत रूप से भारत-ऑस्ट्रिया के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण रहे हैं।

- दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का नियमित आदान-प्रदान होता रहा है।
- 1995 से यूरोपीय संघ का सदस्य ऑस्ट्रिया, यूरोप के साथ, विशेष रूप से मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ अपने संबंधों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
- ऑस्ट्रिया को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं फुटवियर, कपड़ा, चमड़े की वस्तुएं, परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के सामान, वाहन, रोलिंग स्टॉक (और उनके पुर्जे और सहायक उपकरण), मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण (और उनके पुर्जे), इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण आदि हैं।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री द्वारा 3 जनवरी, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- देश में शोधकर्त्ताओं की वार्षिक सभा ,भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन (ISCA) द्वारा आयोजित की जाती है।

थीम: "महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी।"

- भारतीय विज्ञान कांग्रेस की पहली बैठक 15-17 जनवरी, 1914 को एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के परिसर में आयोजित की गई थी।
- **ISC में शामिल अनुभाग:** इसमें चौदह खंड हैं जिनमें कृषि और वानिकी विज्ञान, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि शामिल हैं।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन (ISCA) क्या है?

- 1914 में स्थापित, ISCA विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक पेशेवर निकाय है।

स्रोत- द हिन्दू

प्रज्ज्वला चैलेंज

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM) के तहत प्रज्ज्वला चैलेंज लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

उद्देश्य: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना। यह मिशन उन विचारों की तलाश कर रहा है जिन्हें मोटे तौर पर वर्गीकृत किया गया है

- महिलाओं और समुदाय के हाशिए पर रहने वाले वर्ग पर ध्यान देना
- स्थानीयकृत मॉडल
- वहनीयता
- लागत प्रभावी समाधान
- शॉर्टलिस्ट किए गए विचारों को मिशन द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उन्हें स्केल अप करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल और मेंटरशिप समर्थन से परामर्श सहायता प्रदान की जाएगी। शीर्ष 5 विचारों को 2 लाख रुपये के साथ पुरस्कृत किया जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY– NRLM) क्या है?

- यह प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने में सक्षम बनाया जा सके।

प्रमुख विशेषताएँ :

- **सार्वभौमिक सामाजिक गतिशीलता:** प्रत्येक चिन्हित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के तहत लाना है।
- **गरीबों की भागीदारी पहचान (पीआईपी):** पीआईपी प्रक्रिया के माध्यम से गरीबों के रूप में पहचाने जाने वाले सभी परिवा NRLM लक्ष्य समूह हैं और कार्यक्रम के तहत सभी लाभों के लिए पात्र हैं।
- **सतत संसाधन के रूप में सामुदायिक निधि:** एनआरएलएम गरीबों की संस्थाओं को उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए रिवाल्विंग फंड (आरएफ) और सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) संसाधनों के रूप में प्रदान करता है।

स्रोत- पीआईबी